ऑन लाईन नं. GCMS 2025/191

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 56/2025

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री सुशील कुमार पुत्र श्री बुद्धराम बिश्नोई(विक्रेता व प्रोपराईटर), मैसर्स– एसजी स्वीट्स, तोसेवाला, 199 जी–ब्लॉक, श्रीगंगानगर, निवासी वार्ड न. 09 50 एलएनपी, पदमपुर, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/52

निर्णय दिनांक: 06.02.2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खादद्य सुरक्षा अधिकारी का राज० गजट नोटिफिकेशन क्रमांक–संख्या प.5 (01) चिस्या / ग्रुप–3 / ई–5095/2024 दिनांक 28.06.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश पत्र क्रमांक–आयुक्ता/संस्था./2024/1211 दिनांक 08.07.2024 और संशोधित आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था./2024/1225 दिनांक 09.07.2024 द्वारा किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.10.2025 को समय 05.15 पीएम बजे **मैसर्स एसजी स्वीट्स, तोसेवाला, 199 जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर** पर पहुंचे, मौके पर **श्री सुशील कुमार पुत्र श्री बुद्धराम बिश्नोई** को अपना परिचय देकर दुकान के काउण्टर में 425–425 ग्राम गत्ता बॉक्स के 6 मूल पैकेड खाद्य पदार्थ **TOSHA MITHAI (TOSHEWALA)(GATTA BOX PACK)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का प्रोपराइटर बताया व दुकान के काउण्टर में रखे खाद्य पदार्थ **TOSHA MITHAI (TOSHEWALA)(GATTA BOX PACK)** को आमजन में विक्रय वास्ते बताया। **TOSHA MITHAI (TOSHEWALA)(GATTA BOX PACK)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **TOSHA MITHAI (TOSHEWALA)(GATTA BOX PACK)** का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान ने व खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान के निरीक्षण के दौरान आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध 6 गत्ता बॉक्स पैकेड खाद्य पदार्थ **TOSHA MITHAI (TOSHEWALA)(GATTA BOX PACK)** में से 425–425 ग्राम के 4 गत्ता बॉक्स को प्रोपराईटर से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **TOSHA MITHAI (TOSHEWALA)(GATTA BOX PACK)** का नगद भुगतान 1000/– रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के भी हस्ताक्षर हैं।

तात्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्तक्षर करने को कहा जिसे **श्री सुशील कुमार** एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं तात्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता **श्री सुशील कुमार** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **TOSHA MITHAI (TOSHEWALA)(GATTA BOX PACK) 425–425 ग्राम के 4 गत्ता** बॉक्स पैकेड को एक रूप कर बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 40–40 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद किये और चारो मूल पेक जार पर लेबल तैयार कर चिपकाए और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व क्रमांक के–3093** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–3093** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आये। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री सुशील कुमार पुत्र श्री बुद्धराम बिश्नोई(विकेता व प्रोपराईटर)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेपक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./1428/Act/2025/1428 Dated 27-10-2025 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-3093 Misbranded Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री सुशील कुमार पुत्र श्री बुद्धराम बिश्नोई(विकेता व प्रोपराईटर), मैसर्स– एसजी स्वीट्स, तोसेवाला, 199 जी–ब्लॉक, श्रीगंगानगर, निवासी वार्ड न. 09 50 एलएनपी, पदमपुर, श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर का **TOSHA MITHAI (TOSHEWALA)(GATTA BOX PACK)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 31.12.2025 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त अधिवक्ता ने अपने जवाब में कथन किया कि

1. यह कि प्रार्थी एस.जी. स्वीट्स तोसेवाला स्थित–199–जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर, का प्रोपराईटर है तथा प्रार्थी अपनी दुकान पर जो भी उत्पाद लाता है स्वयं निर्माण नहीं करता, निर्माणशुदा उत्पाद ही प्रार्थी द्वारा बेचान किये जाते हैं। अनुसंधान अधिकारी कंवरपाल द्वारा दिनांक 10.10.2025 को अपने निरीक्षण के दौरान प्रार्थी के संस्थान पर आये और प्रार्थी की दुकान पर छह पैकेट खाद्य पदार्थ तोसा मिठाई बंद पैकेट में पड़ी थी, उक्त मिठाई प्रार्थी द्वारा निर्माण नहीं की गई यह मिठाई पंजाब की प्रसिद्ध मिठाई है व इसका निर्माण मैसर्स तोसेवाला, नजदीक क्लॉक टावर, शराफा बाजार, फाजिल्का पंजाब में निर्माण की जाती है और प्रार्थी उक्त निर्माणशुदा मिठाई को जिस हालत में होती है उसी हालत में क्रय कर अपने संस्थान में विक्रय किया जाता है। प्रार्थी द्वारा उक्त उत्पाद तोसा मिठाई में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। उक्त सारी बात प्रार्थी ने अनुसंधान अधिकारी कंवरपाल को अच्छी तरह से बता दी थी

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

लेकिन अनुसंधान अधिकारी कंवरपाल ने कहा कि कोई बात नहीं हम तो वैसे ही टेस्ट करने आये है, ऐसी कोई बडी बात नहीं है, हमें सरकार के लिए टारगेट पूरे करने होते है, और हम थोड़ी बहुत कार्यवाही करेंगे और यह कहते हुए प्रार्थी के कुछ खाली कागजात पर हस्ताक्षर करवा लिये और वहां से चले गये।

2. यह कि प्रार्थी के पास जब श्रीमान् न्यायालय से नोटिस गया तब प्रार्थी को पता चला कि अनुसंधान अधिकारी कंवरपाल ने प्रार्थी के विरुद्ध झूठा प्रकरण बना दिया है और प्रार्थी द्वारा जब अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रकरण की नकल प्राप्त की तो स्पष्ट पाया कि अनुसंधान अधिकारी कवंरपाल द्वारा सारी अनुसंधानी कार्यवाही फर्जी की है, प्रार्थी को ना तो फार्म नम्बर 5–ए की प्रति बरवक्त घटना उपलब्ध करवाई गई है और ना ही प्रार्थी को सैम्पल लेते हुए जब चपडी लगाई गई थी, उसका बताया गया था, सिर्फ खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे, बाद में अनुसंधान अधिकारी कवंरपाल ने अपने कार्यालय में जाकर प्रार्थी के खाली कागजों पर करवाये हस्ताक्षर की चीट बनाकर चपडी लगाते समय दुरूपयोग किये गये हैं। प्रार्थी के सामने बरवक्त घटना कोई कार्यवाही नहीं की गई है और ना ही प्रार्थी के सामने जब्तशुदा छह पैकेट तोसा मिठाई के इक्ठठा कर बोतलों में डाले गये है लेकिन अनुसंधान अधिकारी के पास खाली बोतलें थीं, जिनमें पूर्व में ही कुछ पदार्थ जमे हुए थे, जो बहुत ही गंदी थी लेकिन प्रार्थी के सामने जब्त किये हुए डबे उन बोतलों में नहीं डाले गये थे।

3. यह कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा कार्यवाही करते समय जो फार्म–नम्बर–5 ए केश मेमो/विक्रय बिल तैयार किये गये है उनमें जो गवाहन के नाम लिखे गये है वो सारे कागज पूर्व से ही टाईप है, जिसमें किसी भी गवाहन का पूर्ण नाम पता अंकित नहीं है और प्रकरण में जो गवाह, गवाहन सूची में अंकित किये है, सभी गवाहन सरकारी है तथा उक्त विभाग में ही कार्यरत है जिससे स्पष्ट पता चलता है कि प्रार्थी के विरुद्ध जो कार्यवाही अमल में लाई गई है, वह केवल मात्र सरकार द्वारा दिये गये टारगेट पूरा करने के उद्देश्य से की गई है। प्रार्थी के संस्थान से जब्त उत्पाद बिल्कुल सही था, अगर फिर भी तोसा मिठाई से सैम्पल फेल हुआ है तो जिसका दंड प्रार्थी को नहीं मिल सकता क्योंकि उक्त मिठाई मैसर्स तोसेवाला, नजदीक क्लॉक टावर, शरार्फा बाजार, फाजिल्का पंजाब, में तैयार की गई है, अनुसंधान अधिकारी द्वारा उक्त मैसर्स को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है इसलिए उक्त तमाम कार्यवाही त्रुटिपूर्ण है।

4. यह कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 30.12.2025 को अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई है, उक्त अधिकारी भी अनुसंधान अधिकारी कंवरपाल उसी कार्यालय में कार्यरत है जिससे स्पष्ट है कि सभी गवाहान, अनुसंधान अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थी को विश्वास व धोखे में रखकर प्रार्थी के खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी के विरुद्ध झूठी कार्यवाही की गई है। प्रार्थी के बताये जाने के बाद भी तोसा मिठाई निर्माण करने वाले मैसर्स तोसेवाला, नजदीक क्लॉक टावर, शरार्फा बाजार, फाजिल्का पंजाब, को उक्त प्रकरण में पक्षकार भी नहीं बनाया गया है जब कि इन्हे पक्षकार बनाया जाना न्यायाहित में आवश्यक था इसलिए प्रार्थी को एफएसएसए अधिनियम–2006 की धारा 52 से दंडित नहीं किया जा सकता। प्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही को ड्राप किया जाना न्यायोचित है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के विरुद्ध विचाराधीन कार्यवाही को ड्राप किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **TOSHA MITHAI (TOSHEWALA)(GATTA BOX PACK)** का सैम्पल **K-3093** स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक– L.S./1428/Act/2025/1428 Dated 27-10-2025 **Misbranded Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को ही दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी के बताये जाने के बाद भी तोसा मिठाई निर्माण करने वाले मैसर्स तोसेवाला, नजदीक क्लॉक टावर, शराफा बाजार, फाजिल्का पंजाब, को उक्त प्रकरण में पक्षकार भी नहीं बनाया गया है जब कि इन्हे पक्षकार बनाया जाना न्यायाहित में आवश्यक था इसलिए प्रार्थी को एफएसएसए अधिनियम–2006 की धारा 52 से दंडित नहीं किया जा सकता। प्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही को ड्राप किया जाना न्यायोचित है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी के विरुद्ध विचाराधीन कार्यवाही को ड्राप किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अभियुक्त अधिवक्ता ने अपने जवाब व बहस में कथन किया कि तोसा मिठाई निर्माण करने वाले मैसर्स तोसेवाला, नजदीक क्लॉक टावर, शराफा बाजार, फाजिल्का पंजाब, को उक्त प्रकरण में पक्षकार भी नहीं बनाया गया, परंतु अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा कोई ऐसा बिल प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि अभियुक्त ने उपरोक्त खाद्य पदार्थ मैसर्स तोसेवाला, नजदीक क्लॉक टावर, शराफा बाजार, फाजिल्का पंजाब से क्रय किया है। ना ही अभियुक्त ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम के तहत नमूना संग्रहण के दौरान कोई बिल खाद्य सुरक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत किया। अतः मैसर्स तोसेवाला, नजदीक क्लॉक टावर, शराफा बाजार, फाजिल्का पंजाब को उक्त प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित नहीं है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम के तहत सही प्रक्रिया अपनाते हुए नियमानुसार नमूने का संग्रहण किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **Tosha Mithai** bearing code No. K-3093 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is **Misbranded Food** under Section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standards Act 2006 as the specific name of edible vegetable oil used in the product not mentioned on the label of the sample. की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री सुशील कुमार पुत्र श्री बुद्धराम बिश्नोई(विक्रेता व प्रोपराईटर), मैसर्स– एसजी स्वीट्स, तोसेवाला, 199 जी–ब्लॉक, श्रीगंगानगर, निवासी वार्ड न. 09 50 एलएनपी, पदमपुर, श्रीगंगानगर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अभियुक्त **श्री सुशील कुमार पुत्र श्री बुद्धराम बिश्नोई(विक्रेता व प्रोपराईटर), मैसर्स– एसजी स्वीट्स, तोसेवाला, 199 जी–ब्लॉक, श्रीगंगानगर, निवासी वार्ड न. 09 50 एलएनपी, पदमपुर, श्रीगंगानगर** को **राशि रूपये 10,000–00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)